कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5046 दिनांकः– 9/12/22

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 03 बैठक दिनांक 07.12.2022 को उपायुक्त (जोन 03) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 135/3/1, रकबा 31648.95 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. प्रश्नगत भूमि में पूर्व में अनुमोदित मानचित्र अनुसार जारी पट्टा विलेख अनुसार भूखण्डो का के समायोजन की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
2. प्रश्नगत भूमि में मास्टर डवलपमेंट प्लान् अनुसार मुख्य पाल रोड का सडक मार्गाधिकार 60 मीटर रखा जावें व जोनल प्लान की 12 मीटर सडक का मानचित्र में अंकन किया जावें।
3. प्रश्नगत भूमि में पूर्व में जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 14.09.2022 के निर्णय की सुनिश्चितता जोन स्तर की जावें।
4. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
5. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
6. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
7. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 305/1, 305/2 का भाग रकबा 8093.70 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पूर्व में पट्टा विलेख जारी है। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी पट्टा विलेख अनुमोदित ले–आउट के परिपेक्ष में जॉच कर शेष भूखण्ड में मौका अनुसार निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है अथवा नही के संबध में जॉच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक(जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5047-051 **दिनांकः–** 9/12/22

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन03, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन03, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन03)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर